कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक / 1613 / दो–11–13 / 05 / लेखा. श्योपुर, दिनांक : 02 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :–

जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, श्योपुर की ओर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का पत्र कमांक ए / 5581 / तीन–18–180 / 75 जबलपुर, दिनांक 29.07.2024 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र की प्रति स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्योपुर (म0प्र0)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक ए/5581 जबलपुर, दिनाँक 29/07/2024
तीन–18–180/75 (गाइडलाईन)

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
   राज्य के समस्त (म.प्र.)

2. प्रधान न्यायाधीश,
   कुटुम्ब न्यायालय,
   राज्य के समस्त (म.प्र.)

विषय :– कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 माह के पूर्व पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रेषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560/तीन–18–180/75(गाइड लाईन) जबलपुर दिनांक 11.04.2022

सामान्यतः यह देखा गया है कि जिन कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण अभ्यावेदन समिति द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर दिये जाते है उनके अभ्यावेदन संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अपनी विशेष टीप के बिना ही 06 माह के भीतर रजिस्ट्री को अग्रेषित कर दिये जाते है, जिसके कारण रजिस्ट्री के साथ–साथ समिति द्वारा भी एक समान तथ्यों पर बार–बार अभ्यास किया जाता है, जबकि वर्तमान में प्रचलित स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा निर्देश संबंधी रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560/ तीन–18–180/75(गाइड लाईन) जबलपुर दिनांक 11.04.2022 की कंडिका–9 में स्पष्ट लेख है कि "तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 (छः) माह की अवधि तक नवीन स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो भी लागू हो) के अनुसार अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हुई हो"।

यथानिर्देश, उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560 दिनांक 11.04.2022 की कंडिका–9 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निवेदन है कि उक्त पत्र अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

29.07.2014

(ऋतुराज सिंह चौहान)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)